सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 68/2016 अपील
पंजीयन दिनांक – 22.08.2016
निर्णय दिनांक – 02.04.2018

1. श्री हुक्मीचन्द पिता सुन्दरलाल जी लोढ़ा (महाजन) निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ।
2. श्रीमती चांदीबाई बेवा सुन्दरलाल जी लोढ़ा (महाजन) निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ।

– अपीलान्टस्

बनाम

1. तहसीलदार, गंगरार तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री पी.सी. पालीवान – वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, गंगरार दिनांक 28.05.2016 प्रकरण संख्या 32/2016

निर्णय

दिनांक 02.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, गंगरार दिनांक 28.05.2016 प्रकरण संख्या 32/2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री हुक्मीचन्द पिता सुन्दरलाल महाजन एवं चान्दी बाई वेबा सुन्दरलाल महाजन के नाम ग्राम ढोडा में बन्दोबस्त पूर्व की खसरा संख्या 53 रकंबा 10 बीघा भूमि दर्ज थी जिसका नवीन बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 83 रकबा 1.65 हैक्टर दर्ज की गई जो पुराने रकबे के मुकाबले 0.51 हैक्टर भूमि कम दर्ज होने से अपीलान्ट द्वारा ग्राम गंगरार की खसरा संख्या 1963 रकबा 0.39 हैक्टर जो कि

ग्राम गंगरार में स्थित है, में से कमी रकबा पूर्ति करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निर्णय दिनांक 28.05.2016 को पारित किया है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि राजस्व ग्राम ढोडा के राजस्व रेकार्ड में संयुक्त राजस्थान वाली पानडी साबिक बन्दोबस्ती रेकार्ड सम्वत् 2008 में साबिक खसरा संख्या 57 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा भूमि खातेदार श्री मांगीलाल पिता घासीराम सनाढ्य के नाम दर्ज थी। उसको एवं ग्राम ढोडा की साबिक बन्दोबस्त भूमि का खसरा सं. 53 रकबा 10 बीघा जो नवीन बन्दोबस्ती रेकार्ड में खसरा संख्या 83 रकबा 1.65 हैक्टर दर्ज हुई है एवं साबिक कृषि भूमि आराजी न. 54 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा थी जिसके नवीन बन्दोबस्ती रेकार्ड से रकबा 3.55 हैक्टर बनते है और इनके नवीन बन्दोबस्ती आराजी न. 83 व 89 बने है, जिसका रकबा 3.39 हैक्टर होकर अपीलार्थिगण के खातेदारी में दर्ज है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इसी के साथ ग्राम ढोडा की सीमा से जुडवा ग्राम गंगरार की सीमा से लगती हुई भूमि होने से ग्राम गंगरार के नवीन खसरा संख्या 2963/4435 रकबा 0.12 हैक्टर अपीलार्थिगण के नाम दर्ज हो चुकी, इस प्रकार साबिक बन्दोबस्ती खातेदारी के रकबे से नवीन भू–प्रबन्धीय इन आराजीयात का विवरण अंकित कर साबिक के मुकाबले नवीन भू–प्रबन्धीय रेकार्ड में रकबा पूर्ति पुरी होना बताकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त निर्णय परिक्षण किये बिना ही अपूर्ण उल्लेख करके आधे अधुरे कथनों से कमी रकबा पूर्ति वाले प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट के पिता द्वारा मांगीलाल जी से जो भूमि क्रय की है को सम्मिलित करने पर साबिक बन्दोबस्ती रेकार्ड अनुसार 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के खातेदारी में बनती है जिसका नवीन भू–प्रबन्धीय रेकार्ड के अनुसार रकबा 4.45 हैक्टर बनता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इसी ग्राम ढोडा की भूमि को ग्राम गंगरार की सरहद में भू–प्रबन्धीय कार्यवाही के दौरान नवीन बन्दोबस्ती आराजी न. 83 में रकबा 0.31 हेक्टर भूमि ग्राम ढोडा व ग्राम गंगरार की सीमा के संधि स्थल पर घटोतरी व बढोतरी करते हुए ग्राम गंगरार की नवीन बन्दोबस्ती आराजी न. 2963 रकबा 0.31 हैक्टर भूमि ग्राम ढोडा में कम कर दी जिसकी पूर्ति रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस दुरस्ती करते हुए पुनः इन्द्राज दुरस्ती ग्राम गंगरार के रेकार्ड में रकबा कमी पूर्ति की जानी थी। इस हेतु अपीलार्थिगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको

खारिज कर दिया जो पूर्णतः अवैद्यानिक होकर निरस्त योग्य है। अन्त में अपीलान्टस् ने ग्राम गंगरार की नवीन आराजी न. 2963 रकबा 0.31 हैक्टर बिलानाम भूमि को उनके खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि ग्राम गंगरराम की जमाबन्दी 2070–73 के खाता संख्या 1 में अंकित आराजी न. 2963 रकबा 0.31 हैक्टर बिलानाम दर्ज है। कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थी का रकबा ग्राम ढोडा में कम होना बताया गया है तथा कमी रकबा पूर्ति ग्राम गंगरार में से चाहा गया है, अन्य ग्राम में से कमी रकबा पूर्ति किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपीलार्थीगण के अनुपस्थित होने से अदम हाजिर एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट ने जो तथ्य प्रस्तुत किये को आधार मान लिया जो एकतरफा प्रतीत होता है। निर्णय दिनांक 28.05.2016 पारित किये जाने के समय अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये दस्तावेजों के परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई के अवसर प्रदान किये जाना प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों का सुनवाई को अवसर देते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार का आदेश दिनांक 28.05.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर